न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
42 / 2020	29.12.2020	**03.01.2023**

//उनवान//

1 रामसिंह पुत्र सुरजभान उर्फ सुरजा जाति मेघवाल निवासी मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 136
एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः— श्री अरुण पण्डित — वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक— 03.01.2023

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल आराजी ख0नं0 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात में मिन प्रार्थी के पिता का नाम सुरजा पुत्र शिवलाल अंकित किया हुआ है जबकि मेरे पिताजी का सही नाम सुरजभान पुत्र श्योदयाल है तथा पहचान के सभी दस्तावेजात में भी सुरजभान पुत्र श्योदयाल अंकित है निवेदन करते हुये हाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कि जाकर पिता का सही नाम सुरजभान पुत्र श्योदयाल जाति मेघवाल अंकन कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार ली गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा, पिता सुरजभान का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, माता छिमला देवी [illegible] भान के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत हुलमाना [illegible] श्योदयाल के बाबत का प्रमाणपत्र पेश किया जिसके मुताबिक सुरजभान व सुरजा [illegible] नाम का एक ही व्यक्ति है के बाबत का प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र के बाबत वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम मिर्जापुर के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सूरजा पुत्र शिवलाल चमार अंकित है जो गलत है तथा इस गलत इन्द्राज के अंकन की स्थिति में विवादित आराजीयात

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:40:03 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थी को सही रूप से उपयोग उपभोग करने में असुविधा हो रही है तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम सुरजभान पुत्र श्योदयाल जाति मेघवाल है तथा इसी अनुसार ही पिता के समस्त पहचान के दस्तावेजात है। इस हेतु प्रार्थी ने अपनी प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा, पिता सुरजभान का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, माता छिमला देवी पत्नि सूरजभान के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत हुलमाना कलां द्वारा सुरजभान उर्फ सुरजा पुत्र श्योदयाल के बाबत का प्रमाणपत्र पेश किया जिसके मुताबिक सुरजभान व सुरजा दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है पेश किये है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को उक्तानुसार सुसंगत दस्तावेजात के द्वारा साबित कर दिया है निवेदन करते हुये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का अभिकथन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली का अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के हाल आराजी ख0नं0 हाल आराजी ख0नं0 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सूरजा पुत्र शिवलाल चमार साकिन देह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर सही नाम सुरजभान पुत्र श्योदयाल मेघवाल साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को वास्ते अमल दरामद किये जाने अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **03.01.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:40:03 IST
Reason: SelfAttested

(... बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0